

बिहार सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

आदेश

संख्या-02 बि०व०से०(स्था०)-07/2019 /प०व०ज०प० पटना-15, दिनांक-...../01/2026

श्री अनीश कुमार को बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-1130 दिनांक-04.04.2022 द्वारा बिहार वन सेवा नियमावली, 2013 के नियम-17 के तहत परिक्ष्यमान रूप में सहायक वन संरक्षक के पद पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया गया। श्री कुमार को अन्य प्रशिक्षुओं के साथ केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, देहरादून में दो वर्षों के व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु भेजा गया था, जहाँ वे दिनांक-18.07.2022 से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, परन्तु वे दिनांक-06.08.2022 से बिना अनुमति/सूचना के अकादमी से गायब हो गये।

श्री अनीश कुमार द्वारा आलोच्य प्रशिक्षण से गायब होने के कारण केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, देहरादून के पत्रांक-4971 दिनांक-16.11.2022 द्वारा श्री अनीश कुमार, प्रशिक्षु, सहायक वन संरक्षक को केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, देहरादून में जारी दो वर्षीय राज्य वन सेवा अधिष्ठापन पाठ्यक्रम (2022-24) सत्र से वापस भेजते हुए इनके विरुद्ध बिहार वन विभाग के प्रचलित नियमों के अनुसार उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

विषयक मामले में विभागीय पत्रांक-4761 दिनांक-25.11.2022 द्वारा श्री अनीश कुमार से स्पष्टीकरण किया गया। श्री कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है कि वे दिनांक-05.08.2022 को प्रातः शारीरिक प्रशिक्षण के क्रम में गिरने के कारण चोटिल हो गये तथा प्राथमिक उपचार लिया तथा वे प्रशिक्षण संस्थान से अपने निवास स्थान पूर्णियाँ के लिए प्रस्थान कर गये जहाँ वे दिनांक-10.11.2022 तक चिकित्सकीय ईलाज में रहे तथा चिकित्सकीय सलाह पर अपने बीमारी एवं चोट का इलाज कराने के उपरांत दिनांक-14.11.2022 को प्रशिक्षण संस्थान में योगदान के लिए उपस्थित हुये। प्रशिक्षण संस्थान में उनका योगदान स्वीकार नहीं किया गया तथा लम्बी अवधि तक अनुपस्थित रहने के कारण दो वर्षीय राज्य वन सेवा अधिष्ठान (2022-24) सत्र से वापस राज्य के लिए भेज दिया गया।

श्री अनीश कुमार, सहायक वन संरक्षक (प्रशिक्षु) द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरांत इस कृत की पुनरावृत्ति न हो, इस निमित्त श्री कुमार को 'सचेत' किया जाता है।

उपरोक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-02 बि०व०से०(स्था०)-07/2019 /प०व०ज०प० पटना-15, दिनांक-...../01/2026

प्रतिलिपि :- वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-02 बि०व०से०(स्था०)-07/2019 /प०व०ज०प० पटना-15, दिनांक-...../01/2026

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/श्री अनीश कुमार, बि.व.से. के केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, आर.एस. पूरम, कोयम्बटूर (तमिलनाडू) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

५०५

ज्ञापांक-02 बि०व०से०(स्था०)-07/2019 /प०व०ज०प० पटना-15, दिनांक-19/01/2026

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव